न्यायालय–सिविज जज जू.डि. बांदा।

पत्रावली आज लोक अदालत में प्रार्थनापत्र हेतु पेश हुई।

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त में वादी है। उनके व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सुलह हो गयी है। अब कोई विवाद नहीं रह गया जिस कारण वाद वापस करने की अनुमति चाही गयी है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र के माध्यम से वादीगण वाद को वापस लेना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज जू.डि. बांदा

न्यायालय–सिविज जज जू.डि. बांदा।

मूल वाद संख्या 387/2022